

## उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी०सी०-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ


संख्या: /सी-3/एनओसी-नोडल/2018

दिनांक 03/5/18

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार की "सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति 2017-2022" के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं में डी.जी. सेट (Stand alone) 1MVA तक के प्रयोग को स्टार्ट-अप की संवृद्धि हेतु अनुकूल वातावरण एवं प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 21 में निहित स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति की परिधि से निम्न शर्तों के साथ अवमुक्त किया जाता है:-

1. डी.जी. सेट (Stand alone) 1MVA से अधिक क्षमता का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा उक्त डी.जी. सेट में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपयुक्त क्षमता का एकोस्टिक इनक्लोजर तथा पर्याप्त उँचाई की चिमनी स्थापित की जायेगी।
2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एस.ओ. 3999(ई) दिनांक 09-12-2016 यथा संशोधित के द्वारा भवन/योजना संनिर्माण/विकास योजना और नगरीय परियोजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित कुल निर्मित/आच्छादित क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या बी-29012/ईएसएस(सीपीए)/2015-16 दिनांक 07-3-2016 के द्वारा प्रदूषण के आधार पर किये गये वर्गीकरण में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा परिसर से प्रतिदिन 10 किली० से अधिक घरेलू उत्प्लावक जनित नहीं होगा।
4. यह आदेश 'सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति 2017-2022' की वैधता अवधि तक ही मान्य होंगे।  
उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

  
03/5/18  
(रेणुका कुमार)  
अध्यक्ष

पृ० संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12सी माल एवेन्यू, लखनऊ।
2. अनु सचिव, पर्यावरण अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. समस्त वृत्तों/अनुभागों के नियंत्रक अधिकारी, बोर्ड मुख्यालय।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5. श्री प्रदीप शर्मा, वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड की वेबसाईट में प्रदर्शित करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

(आशीष तिवारी)  
सदस्य-सचिव